भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1234

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

गलती से निरर्ह किए गए निदेशकों को राहत

1234. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के निदेशकों को निरर्ह करने का कोई निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय को कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें मंत्रालय से इस संबंध में रोक की मांग की गई है क्योंकि उन्हें गलती से निरर्ह किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने इस मामले पर कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसे निरर्ह किए गए निदेशकों पर विचार कर उन्हें संरक्षण देने हेतु सरकार द्वारा कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत किसी कंपनी के निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यता हेतु प्रावधानों के तहत बनाए गए कानून के द्वारा किसी निदेशक को अयोग्य किया जाता है। धारा 164(2)(क) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कंपनी में निदेशक है या रहा है, जिसने लगातार किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति या किसी अन्य कंपनी में निदेशक के रूप में उस तारीख से जबकि उक्त कंपनी ऐसा करने में असमर्थ रही, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस अधिनियम की धारा 167(1)(क) में यह भी प्रावधान है कि किसी निदेशक का पद उस स्थिति में रिक्त होगा जबकि वह इस अधिनियम की धारा 164 में निर्धारित किसी आधार पर अयोग्य हो गया हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 14(2) में कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसा होने पर अपने निदेशकों के ब्यौरे कंपनी रजिस्ट्रार को एक विहित प्ररूप डीआईआर-9 फाइल करके सूचित करे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन लगातार पूर्वर्ती तीन वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 और 2015-16) के लिए वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल न करने के लिए 3,09,619 निदेशकों की अयोग्य के रूप में पहचान की गई थी। केन्द्र सरकार ने गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों को अपनी सांविधिक विवरणियां दायर नहीं करने और अनुपालनकर्ता बनने का एक अवसर देते हुए दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी देरी के लिए क्षमा योजना, 2018 [सीओडीएस-18] प्रारंभ की है और परिणामस्वरूप उनके निदेशकों की अयोग्यता वैध हो जाएगी।

*****